न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 20/2012

उनवान

1. बुधमल पुत्र हरजी जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
1/1. छोटी पत्नी बुद्धमल उर्फ बुधमल
1/2. रामदेव
1/3. जगदेव पि. बुद्धमल उर्फ बुधमल
1/4. रामेश्वरी देवी
1/5. रामी देवी
1/6. लाडा पि. बुद्धमल उर्फ बुधमल समस्त जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
--वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

-: निर्णय :- दिनांक :- 5/8/24

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुआ है कि वादी को अपने पक्ष में रिकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये बाद साक्ष्य, सुनवाई कर तनकियात कायम कर पुनः निर्णय पारित करे। वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6429 रकबा 5–4–0 के हाल खसरा नम्बर 8684 रकबा 0.84 की आराजी वादी के पिता के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 8.12.66 को हरजी पुत्र बालू जाति माली को खसरा नम्बर 6429 मिन रकबा 3–0–0 नियमानुसार दर्ज हुआ व नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 02.12.20001 से उक्त आराजी पर वादी के पिता का नाम गेर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार हुयी व नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.04.23 से वंर्किग खसरा नम्बर 6429 रकबा 2–4–0 पादी के पिता के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी। इस प्रकार वादी के पिता का नाम कुल 5–4–0 भूमि का अंकन स्वीकार हुआ है। हाल खसरा नम्बर 8684 रकबा 0.36 पर वादी के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 6429 मिन रकबा 2–4–0 जमाबंदी में नाम दर्ज नही किया गया। कुल रकबा 5–4–0 में से हाल जमाबंदी में 0–3–0 की खातेदारी की व शेष [illegible] 4–0 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार [illegible] घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] गया। राज. पैरोकार ने पूर्व के जवाब को स्वीकार [illegible] हरजी पुत्र बालू को नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 08.12.66 से 3–0–0 भूमि आवंटित हुयी मिलान क्षेत्र अनुसार उक्त खसरा नम्बर के 41 नये खसरा नम्बर बने है जिससे स्पष्ट नही होता है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कि कौन सा खसरा नम्बर आंवटन हुआ था। अतः वाद खारिज योग्य है।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक खातेदारी की है ?
—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— वादी

3. आया आवंटन के तथ्यों का स्पष्ट नही होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व कानाराम व युसुफ के शपथ पत्र पेश किये। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :–</u>

वंर्किग खसरा नम्बर 6429 रकबा 5–4–0 की आराजी खाता संख्या 1 में सिवायचक है। वादी द्वारा प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अनुसार नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 8.12.66 से वंकिग खसरा नम्बर 6429 मिन रकबा 3–0–0 हरजी पुत्र बालू के नाम गैरखातेदारी व नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 02.12.01 से खातेदारी दर्ज होने का अंकन है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 6429 का शेष रकबा 2–4–0 नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.04.23 से हरजी पुत्र बालू के नाम दर्ज हुआ है। उक्त वंर्किग खसरा नमबर 6429 के हाल खसरा नम्बर 8684 रकबा 0.84 बने है जिसमें ये 0.36 रकबा नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.04.23 द्वारा वादी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी का शेष रकबा 0.48 सिवायचक दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 8.12.66 पेश किया जिसके अनुसार हरजी पुत्र बालू को कई चौसाला खसरा नम्बर आवंटित हुये है। चौसाला खसरा नम्बर 5057 का कुल रकबा 204–10–0 है। जिसके कुल 41 वंर्किग खसरा नम्बर बने है। उक्त समस्त वंर्किग खसरा नम्बर व उनके हाल खसरा नम्बर की स्थिति वादी द्वारा स्पष्ट नही की है। आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 5057 का कुल रकबा 5057 होने के बावजूद वादी द्वारा मात्र वंर्किग खसरा नम्बर 6429 पर अनुतोष चाहा है तथा उक्त आराजी पर वादी का कब्जा होने के प्रमाण भी वादी द्वारा पेश नही किये है। वादी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन आदेश भी पेश नही किये गये है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद में वादी अधिवक्ता को साक्ष्य व सुनवाई के अवसर देते हुये नवीन निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। पूर्व में वादी का वाद अभिलेखिय दस्तावेज व साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया था। इसके बावजूद वादी द्वारा अपने वाद को सिद्व करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वंर्किग खसरा नम्बर 6409 रकबा 3–0–0 की आराजी वादी के पिता को आवंटित होना सिद्व नही होता है। राज. पैरोकार द्वारा अपने जवाब दावे में उक्त [illegible] अंकित [illegible] चौसाला खसरा नम्बर 5057 रकबा 3–0–0 का नोट सीधे ही वंर्किग जमाबंदी के [illegible] नम्बर 6429 रकबा 3–0–0 में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिया गया है। उक्त नामान्तकरण [illegible] की है तत्समय वंर्किग जमाबंदी अस्तित्व में नही थी। वंर्किग जमाबंदी में आराजी [illegible] बाबत अंकित उक्त नोट गेर कानूनी होने से वर्तमान इद्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], अजमेर

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी सिद्व नही होती है तथा वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। चौसाला खसरा नम्बर 5057 में से 3–0–0 भूमि आवंटन बाबत दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किये गये है। चौसाला खसरा नम्बर 5057 रकबा 204–10–0 के सभी वंर्किग खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर की स्थिति भी वादी द्वारा स्पष्ट नही की गयी है। वंर्किग जमाबंदी में व चौसाला खसरा नम्बर के आधार पर नोट अंकित किया गया है जो गैर कानूनी होने के कारण बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 8684 रकबा 0.48 को सिवायचक दर्ज किया है। वादी द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय के निनर्देशों की पालना भी नही की है। तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नमबर 8684 रकबा 0.48 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

वुधमल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 20/2012
पेश करने की दिनांक – 21.02.2019 (रिमाण्ड)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नमबर 8684 रकबा 0.48 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें गें मय सूद व शरह तक—— ——को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद